



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05012021-224200
CG-DL-E-05012021-224200

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 26]
No. 26]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 5, 2021/पौष 15, 1942
NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 5, 2021/PAUSHA 15, 1942

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड)

(राजस्व आसूचना निदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 जनवरी, 2021

सं. 02/2021-सीमा शुल्क (गै.टै./सीएए/राआनि)

का.आ. 26(अ).— भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग द्वारा सीमा शुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) की धारा 152 के अनुच्छेद (ए) के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं. 60/2015-सीमा शुल्क (गै.टै.), संख्या सा.वै.नि. 453(ई), दिनांक 04 जून 2015 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित एवं यथा अधिसूचना सं. 133/2015-सीमा शुल्क (गै.टै.), संख्या सा.वै.नि. 916(ई), दिनांक 30 नवम्बर 2015 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित के द्वारा संशोधित, के अनुसरण में प्रधान महानिदेशक राजस्व आसूचना एतद्वारा बोर्ड द्वारा निर्गमित अधिसूचना सं. 82/2016-सीमा शुल्क (गै.टै.) दिनांक 07.06.2016, का.आ. 2019(अ) दिनांक 07.06.2016 द्वारा प्रकाशित, में निम्नलिखित संशोधन करते हैं:-

उपरोक्त अधिसूचना की तालिका के क्रम सं. 15 और 29 दोनों के स्तंभ सं. 6 में मौजूद प्रविष्टियों को “आयुक्त सीमा शुल्क (निर्यात), न्यू कस्टम हाउस, मुंबई” से प्रतिस्थापित कर दिया जाए।

[फा. सं. DRI/HQ-CI/50D/CAA-53/2020]

दीपक कुमार, संयुक्त निदेशक

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS)

(Directorate of Revenue Intelligence)

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th January, 2021

No. 02/2021-Customs (N.T./CAA/DRI)

S.O. 26(E).—In pursuance of notification No. 60/2015-Customs (N.T.), published vide number G.S.R. 453(E), dated 4th June 2015 in Gazette of India, Extra-ordinary, Part-II, section 3, sub-section (i), and as amended by notification No. 133/2015-Customs (N.T.), published vide number G.S.R. 916(E) dated 30th November 2015 in Gazette of India, Extra-ordinary, Part-II, section 3, sub-section (i), issued by the Government of India, Ministry of Finance, Department of Revenue, under clause (a) of section 152 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Principal Director General, Revenue Intelligence, hereby makes the following amendments in the Notification No. 82/2016-Customs (N.T.) dated 07.06.2016, published vide S.O. 2019(E) dated 07.06.2016, issued by the Board.

In the Table to the said notification, against serial number 15 and 29, in column 6 for both the existing entries “Commissioner of Customs (Export), New Custom House, Mumbai” shall be substituted.

[F. No. DRI/HQ-CI/50D/CAA-53/2020]

DEEPAK KUMAR, Jt. Director